

पत्रांक..... / 1सी0(कैम्प)
सेवा में,

दिनांक. 13/02/2023

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वनप्रभाग
मसूरी।

विषय:- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 233/2012 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत सौड़ा द्वारा से चमेली चौक तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.01 हे0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तांतरण।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8वी0/यू0सी0पी0/06/292/2015/एफ0सी0/1552 दि0 29.10.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित/चयनित ग्राम वगर द्वारा की 6.02 है0 शिविल सोयम भूमि, खाता खतौनी सं0 332 के खसरा नं0 2092, रकबा 5.938 है0, खसरा नं0 413 मि0, रकबा 0.082 है0, कुल रकबा 6.02 है0 है। जिसकी खसरा खतौनी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अग्रसारित करने की कृपा करें ताकि भारत सरकार से उक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश

दिनांक. 13/02/2023

पत्रांक.....196..... / 1सी0(कैम्प)
प्रतिलिपि:-

1. जिलाधिकारी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता(चतुर्थ) अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
ऋषिकेश



भाषा चुने Change

खता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

NOTE : खता उपरलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित है

खता विवरण (अप्रमाणित प्रति)							NOTE : खता उपलब्ध ना होने पर डिजिटल हस्ताक्षरित है		
ग्राम का नाम : द्वारा	परमाणु : (पंचायत)	तहसील : देहरादून	अनुसूचित : देहरादून	फसली वर्ष : 1422-1427	पन्ना : 1	खता संख्या : 00345			
खतदार का नाम / पिता पत्नी संबंधक का नाम / निवास स्थान	पैथिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	अवस्था	दिप्पनी				
श्रेणी : 5-3-ख-2 / पांच सप्ताहों में निर्दिष्ट ।									
अंशित सात ग्राम सप्ताह / /		1652क 1851ख 2091 2092क 2100 2110 2465 2573ख 607 614 मि 909 947 984ख 413	0.4120 0.8490 0.1740 5.9380 0.1100 0.0600 2.4280 3.7640 1.3510 4.1810 3.8300 0.0810 0.0050 0.4050	कमालीय जिलाधिकारी दे.दून संख्या 45/12प-7 (2017-20)/ ई/0एच/0आर/0बी/0 दिनांक 6 नवम्बर, 2017 के अनुसार शासनादेश संख्या 2173/XV/III(II)/2012-16(120)/2010 राबल अनुभाग-2, दे.दून दिनांक 17, दिसम्बर, 2012 में वर्गीकृत प्राधिकारों के अंतर्गत ग्राम द्वारा परमाणु परचमद्वारा जम 0 सरद दे.दून के खता खतौनी संख्या 332 फसली वर्ष (1416-1421) के खसरा नं० 2092क रकबा 5.9380हे० तथा खसरा नं० 413 मध्ये रकबा 0.0820हे० अर्थात् कुल रकबा 6.02हे०, श्रेणी 5(3)ख(2)-पांच सप्ताहों में निर्दिष्ट अंशित सात ग्राम को क्षतिपूर्क क्षारोपण हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड शासन के नाम हस्ताक्षरित/अर्वाटित किया जाता है, एवमने से। अदेशानुसार नामक तहसीलदार दे.दून द्वारा फार्म प क-23 के क्रमांक 15/16-3-18 के अनुसार खता स० 332 पर दर्ज खसरा नं० 413 के स्थान पर खसरा नं० 613 शुद्ध दर्ज होने, दुस्स्ती।			14	23.5880	
योग									

Disclaimer: उक्त अंकड़े मात्र अफेनोनाम है, तहसील कम्यूटर केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Data Updated Up to: Thu Feb 16 11:13:33 IST 2023

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttarakhand)



Digital India
POWER TO EMPower

Disclaimer: उक्त अंकित मात्र अद्यतनकर्म है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है ।

Data Updated Up to: Thu Feb 16 11:13:33 IST 2023

Technical Support By: National Informatics Center, Uttarakhand State Unit, Dehradun.

Contents owned by Board of Revenue(Uttarakhand)

